न्यायालय:- श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर, केम्प सागर म.प्र.

निग - 26 - II - 16

मुन्ने भाई पिता सउए

निवासी सुभाष वार्ड खुरई तह0 खुरई जिला सागर म.प्र.

— रिवीजनकर्ता

//विरूद्ध//

7 NOV 2015

अनवरी पिता सउए

निवासी ~~xxxxx~~ सुभाष वार्ड खुरई

तह0 खुरई जिला सागर म.प्र. — आवेदिका

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता की ओर से यह रिवीजन माननीय न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई द्वारा राजस्व रिवीजनक्रमांक 38अ/6 वर्ष 2014-15 मे पारित आदेश दिनाक 16.09.2015 से दुखित होकर निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है :-

//रिवीजन के तथ्य//

ऐसा कि भूमि स्थित मौजा जगदीशपुरा पट.ह.नं. 1 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील खुरई जिला सागर म.प्र. मे भूमि पुराना खसरा नंबर 20/1 नया खसरा नंबर 21/1 रकबा 1.090 हेक्टेयर भूमि जो कि - राजस्व प्रलेखो मे रिवीजनकर्ता/अनावेदक के अधिपत्य व स्वामित्व के रूप मे काफी वर्षो पूर्व से दर्ज चली आ रही है । उपरोक्त भूमि उभय पक्ष के पूर्वज स्व. सउए के बैनामा दिनाक 14.05.1986 बसंन्तो पिता खेमचंद व बालकिशन पिता बसंते साहू से क्रय किया था तथा सउए की मृत्यु दिनाक 10.06.1986 को हो जाने पर उक्त वाद भूमि के राजस्व अभिलेख मे रिवीजनकर्ता का नाम जोडे जाने हेतु सहमति का नोटराईज शपथपत्र समक्ष गवाहो के दिनांक - 22.08.86 को अपनी बहिन अकतरी बाई के साथ निष्पादित किया था। आवेदिका द्वारा असत्य आधारो पर यह अभिवचन कर अपील अधिनस्थ

-2- R-26-II/16 जिला–सागर

29.3.16.	प्रकरण में श्री आजय श्रीवास्तव अधि० द्वारा आवेदक मुन्ने भाई की ओर से वकालतनामा पेश कर प्रकरण में उप० हुए तथा प्रकरण को वापस लेने के निवेदन के साथ इसी स्तर पर समाप्त करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण में पक्षकार हाजिर हो। फ० दा०रि० हो। सदस्य	प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहिए 29/3/2016
M		